

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1998

दिनांक 07/09/2022

प्रार्थीगण :-

1. गोरधनराम
2. बबूताराम
3. प्रदमाराम पि. महेशाराम
4. मालूदेवी पत्नि महेशाराम, जाति जाट निवासी सुथारों का तला, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. तिलोकाराम पुत्र मूलाराम, जाति जाट
2. मूलाराम पुत्र पारूराम, जाति भील निवासी सुथारों की तला
3. मेहराण
4. मुसा
5. मलका पि. साहबना
6. ऐसान पुत्र ठारू
7. हाकम पुत्र मेवा, जाति मुसलमान, निवासी सुथारों की ढाणी तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 88/2022

दिनांक : 07.09.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा सुथारों का तला के खेत खसरा सं. 422/49 रकबा 04.8562 हेक्टेयर एवं खसरा सं. 46 रकबा 05.1962 हेक्टेयर बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1999 to 2002
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गोरधनराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण तिलोकाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 07/09/2022



(भागीनं. II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन